



छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
(छ.ग.शासन का उपक्रम)

“मुख्यालय” बीज भवन रविग्राम तेलीबांधा जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

Phone:- 0771- 4212201-228, Fax :- 0771- 4046039,4269654

E-mail : cgbkvn_homs@yahoo.co.in,

क्र./ मुख्या./ बी.कृ.वि.नि./ RCO-55/2022-23/ 13688

रायपुर, दिनांक- 13/03/2023

प्रति,

प्रथम प्रसारण

जिला प्रबंधक,

रायपुर / बलौदाबाजार / दुर्ग / बेमेतरा / बालोद / राजनांदगांव / जगदलपुर /
बिलासपुर / जांजगीर / रायगढ़ / अम्बिकापुर / धमतरी / महासमुंद / कवर्धा /
कांकेर / कोरबा / कोरिया / जशपुर / दंतेवाड़ा / मुंगेली / गरियाबंद

विषय :-

RCO-55 Gulal Packing Box Making Machine वर्ष 2022-23 की क्रय-विक्रय दरे प्रसारित करने बाबत।

संदर्भ :-

मुख्यालय से काऊंटर ऑफर जारी दिनांक 16.02.2023

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि निगम की ऑनलाईन आमंत्रित RCO-55 Gulal Packing Box Making Machine वर्ष 2022-23 में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम प्रसारण तिथि 13.03.2023 से संलग्न दरे आगामी एक वर्ष दिनांक 12.03.2024 की अवधि तक लागू रहेगी। निम्नानुसार कंपनी के क्रय-विक्रय दरे संलग्न कर प्रेषित है :-

C.G. STATE

1. M/s Sidharth Enterprises Office Add- 001, Beside Kavita Complex Kamla Collage, Anupam Nagar Tah. Rajnandgaon, Distt- Rajnandgaon, Chhattisgarh, Pin 491441, Nursery Add- Nandouri Teshil- Dhamadha, Durg, Chhattisgarh, Pin 490025, Contact Person- Harish Kumar Agrawal, Mobile No.- 9425207367, Email- sidharth.tech@gmail.com

आदान सामग्री प्रदाय की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. दर — (अ) छत्तीसगढ़ प्रदेश के निविदाकर्ताओं को बेसिक रेट+जीएसटी देय (Basic Rate+GST) देय होगा। जीएसटी की राशि जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा। बिल में बेसिक रेट व टैक्स पृथक-पृथक दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
(ब) छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर के निविदाकर्ता प्रदायक को HSN कोड तथा बेसिक दर एवं IGST पृथक-पृथक दर्शाना होगा। प्रदायक को भुगतान अनुमोदित क्रय दर पर किया जावेगा।
(स) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स की नीति एवं दरों में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित दरें ही मान्य होगी।
(द) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू किया गया है। जिसमें देयक का प्रारूप निर्धारित किया गया है। तदनुसार ही देयक जारी किये जावें जिसमें वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) नम्बर HSN कोड आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

PM

2. उपरोक्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन जो निगम/विभाग के जिला कार्यालयों एवं विकासखण्ड कार्यालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य स्थान हो सकते हैं, तक रहेगी। अन्य कोई भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा। प्रदायकर्ता द्वारा देयक में टैक्स फ्री आयटम में टैक्स फ्री के रबर स्टैम्प लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. प्रदायक द्वारा मांग अनुसार मुख्यालय अथवा जिला कार्यालय से क्रय आदेश जारी होने पर संबंधित प्रदायकर्ता को समायावधि के भीतर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री प्रदाय करना होगा, अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा व संबंधित प्रदायक के विरुद्ध सुरक्षा निधि राजसात करने/काली सूची में डालने जैसी कार्यवाही की जा सकती है।
4. प्रदायक द्वारा प्रदाय की गई सामग्री के उपयोग पश्चात् अगर उसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन से कृषक को हुई हानि की सम्पूर्ण वसूली प्रदायक से की जावेगी।
5. प्रदायकर्ता को निविदा की शर्त अनुसार "प्राइज फाल क्लोज" का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि प्रदायक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान में निगम की विक्रय दरों से कम में विक्रय करता है तो वहीं दरें स्वयंमेव निगम में लागू मानी जावेंगी तथा न्यूनतम दरों पर ही भुगतान किया जावेगा।
6. प्रदायक की एम.आर.पी. किसी भी समय निगम की विक्रय दरों से कम नहीं होना चाहिए, अनुबंध की वैधता के दौरान यदि प्रदायक दरें कम करता है तो उसकी सूचना तत्काल "बीज निगम" मुख्यालय को देनी होगी, जिससे दरों में संशोधन किया जा सकें अथवा एम.आर.पी. कम पायी जाती है तो तदनुसार ही क्रय दरों की गणना की जाकर दरें कम की जा सकेंगी तथा अन्तर की राशि प्रदायक के लंबित बिलों एवं सिक्यूरिटी राशि से वसूली की जावेगी।
7. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के जारी किये जाने वाले इन्वाइस/बिल तीन प्रतियों में जारी किये जावेंगे एवं उन पर समस्त विवरण जैसे :- क्रय आदेश क्रमांक व दिनांक, चालान व दिनांक, सीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर इत्यादि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रदेश के अन्दर के प्रदायकों के जीएसटी जमा करने की जवाबदारी स्वयं प्रदायक की होगी।
9. प्रदाय सामग्री के देयक का भुगतान जिला कार्यालय से सत्यापित देयक एवं क्रेता की संतुष्टि प्राप्ति उपरांत मुख्यालय से "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त के आधार पर किया जावेगा अर्थात् क्रेता विभाग को सामग्री प्रदाय करने के उपरांत इस विभाग को राशि प्राप्त होने के पश्चात् सामग्री की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कम राशि प्राप्त होती है तो उसी समानुपात में भुगतान किया जावेगा।
10. यदि किसी प्रकार के लिपिकीय त्रुटिवश प्रदायक को अधिक भुगतान होने की स्थिति में प्रदायक के अगले भुगतान में समायोजन करने/वापस प्राप्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
11. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम के विवाद का क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति के लिये कम्पनी पूर्णतः जवाबदार होगी।
12. निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार आर.सी.ओ. की दरों में कमी, बढ़ोत्तरी या किसी भी फर्म की दरों को निरस्त करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
13. जारी दरें बीज निगम के कार्यालय से व्यवसाय हेतु मान्य होगी।
14. प्रदाय आदेश जारी करते समय संबंधित प्रदायकर्ता का वैध विक्रय अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा।



कृपया उक्त RCO-55 Gulal Packing Box Making Machine के क्रय-विक्रय दरों की जानकारी संबंधित विभाग को तत्काल उपलब्ध करावे।

संलग्न – Purchase & Selling Rate Of RCO-55 Gulal Packing Box Making Machine For the Year 2022-23

// प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित //

उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13/03/2023

पृ.क्र./ मुख्या./ बी.कृ.वि.नि./ RCO-55/2022-23/ 13689
प्रतिलिपी :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, जलसंसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग.शासन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक महोदय, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक कृषि, छ.ग.शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक उद्यान, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंद्रावती भवन, नया, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक मछली पालन, इंद्रावती भवन, नया, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. महाप्रबंधक, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ./स्थापना/बीज/वसूली/मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. उप संचालक कृषि, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
11. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, जिला(समस्त) की ओर सूचनार्थ।
12. उप संचालक/सहायक संचालक मछली पालन, जिला(समस्त) की ओर सूचनार्थ।
13. उप संचालक (वित्त), मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
14. प्रबंधक (वित्त एवं कर, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
15. उप प्रबंधक (लेखा), भुगतान शाखा, अंकेक्षण शाखा, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. आर.सी.ओ. कक्ष, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि निगम के वेबसाईट (<http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam>) में डालना सुनिश्चित करें।
17. प्रदायक -----
की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त शर्तों/अनुबंध की शर्तों एवं निविदा की शर्तों का पालन करना होगा।

उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

C.G. RAJYA BEEJ EVAM KRISHI VIKAS NIGAM LTD.
HEAD OFFICE "BEEJ BHAWAN" TELIBANDHA RAVIGRAM RAIPUR (C.G.)

PURCHASE & SELLING RATE OF "RCO-55 Gulal Packing Box Making Machine " For the Year 2022-23

Sl.No./H.O./RCO-55/2022-23/1.36.88-89, Date 13/02/2023


GST No.- 22AFGPA6780C2ZX (Sidharth Enterprises)


1. M/s Sidharth Enterprises


Office Add- 001, Beside Kavita Complex Kamla Collage, Anupam Nagar Tah. Rajnandgaon, Dist- Rajnandgaon, Chhatisgarh,
Pin 491441, Nursery Add- Nandouri Teshil- Dhamadha, Durg, Chhatisgarh, Pin 490025, Contact Person- Harish Kumar Agrawal, Mobile No.- 9425207367, Email-
sidharth.tech@gmail.com

S.No.	Item	Unit	HSN Code	GST	Basic Rate	CGST 9%	SGST 9%	Total Purchase Rate	Nigam Margin 5%	Basic Selling Rate (6+10)	CGST 9%	SGST 9%	Selling Rate F.O.R. Destination
1	Gulal Packing Box Making Machine	No	8477	18%	2,300,000.00	207000.00	207000.00	2714000.00	115000.00	2415000.00	217350.00	217350.00	2849700.00



(आर.के. श्रीवास्तव)
उपप्रबंधक (लेखा)
मुख्यालय, रायपुर



(संतोष कुमार देवांगन)
उप संचालक (वित्त),
मुख्यालय, रायपुर
(वित्तीय सदस्य)


(आर.के. कश्यप)
उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.),
मुख्यालय, रायपुर
(वित्तीय सदस्य)


(आर.के. चन्द्रवंशी)
महाप्रबंधक (बीज),
मुख्यालय, रायपुर
(वित्तीय सदस्य)

वित्तीय समिति के अनुशंखानुक्रम पत्रक सही तैयार किया।


(अशोक वर्मा)
सहायक ग्रेड-02
मुख्यालय, रायपुर


(के.एन. प्रबोधक)
उप प्रबंधक
मुख्यालय, रायपुर